न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 25/2024

प्रार्थी –	***बनाम***	**अप्रार्थीगण –**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. नीरज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सिंधी निवासी बालाजी हॉस्पीटल के पीछे महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स धनेश किराणा स्टोर, स्टेशन रोड, बाडमेर का विक्रेता) 2. कान्ता देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति सिंधी निवासी बालाजी हॉस्पीटल के पीछे महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स धनेश किराणा स्टोर, स्टेशन रोड, बाडमेर की मालकिन) 3. पवन कुमार पुत्र भूरचंद निवासी जूना केराडू मार्ग, बाडमेर (मैसर्स पवन कुमार बोथरा एण्ड कंपनी कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक) 4. अंकित दुहन पुत्र दलबीर दुहन निवासी मकान नं. 254 सैक्टर 16–17 हिसार हरियाणा (मैसर्स जयश्री राम फूड प्रोडेक्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, वार्ड 2 प्लॉट ए–43, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया राजगढ, चुरू का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूरचंद जांगिड़ उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 05.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा [illegible] की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा [illegible] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स धनेश किराणा स्टोर, स्टेशन रोड, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **03.08.2023** को खाद्य पदार्थ **घी हरमन प्लस (500 मिली के 10 जार में)** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी हरमन प्लस** में से 500–500 एमएल के 04 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2186** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी हरमन प्लस** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी हरमन प्लस** का नमूना **अनसेफ** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **05.02.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई थी तथा सेम्पल सब स्टेण्डर्ड क्वालिटी का है, बाकी मानक तथ्य एकदम सही है। लिहाजा उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **05.02.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **B.R.R. at 40 degree** का मानक स्तर 40–44 के मुकाबले 49.69 **R.M. Value Not less than 24** के मुकाबले 1.52 **Iodine Value** का मानक स्तर 25–38 के मुकाबले 52.2[illegible] **Saponification Value** का मानक स्तर 205–235 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मुकाबले 196.87 **Test for the presence of Vegetable oils** का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले **Present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में खाद्य पदार्थ नमूने के अवमानक पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये** 40,000/— जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:18 IST
Reason: SelfAttested